भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 95

जिसका उत्तर सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक) को दिया जाना है

बड़ी कंपनियों और एमएसएमई के बीच भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाना

95. श्री हरीभाई पटेल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने तथा बड़ी कंपनियों/व्यापारियों तथा सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र के बीच समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं ताकि एक निष्पक्ष व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा मिल सकें;
(ख) यदि हां, तो बड़ी कंपनियों/व्यापारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली निर्धारित समय-सीमा क्या है और एमएसएमई को भुगतान में विलंब के कारण क्या प्रभाव होंगे/दंड लगाया जाएगा; और
(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त उपायों, यदि कोई हों, के व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क), (ख), और (ग): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15 में यह प्रावधान है कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भुगतान लिखित करार के अनुसार दिए गए समय के भीतर होगा, जो 45 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। यदि ऐसा कोई लिखित समझौता नहीं है, तो यह प्रावधान किया गया है कि भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत क्रेताओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंब से किए गए भुगतान के मामलों से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों (एमएसईएफसी) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त उपाय एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 और धारा 23 में दिए गए हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को बकाया देय राशि की मॉनीटरिंग करने और शिकायतों को दर्ज करने के लिए समाधान पोर्टल लॉन्च किया है और केंद्रीय मंत्रालयों/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बकाया राशि और मासिक भुगतान की रिपोर्ट करने के लिए समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप-पोर्टल बनाया है।

भारत सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) और 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली सभी कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे स्वयं को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) से जोड़ लें, जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो कई फाइनेंसरों के माध्यम से एमएसएमई की व्यापार प्राप्तियों की छूट की सुविधा प्रदान करता है।

जो कंपनियां एमएसई से वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करती हैं और जिनका एमएसई को भुगतान-स्वीकृति की तारीख या माल या सेवाओं की मानी गई स्वीकृति की तारीख से 45 दिनों से अधिक है, उन्हें भी बकाया भुगतान की राशि और देरी के कारणों को बताते हुए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय को छमाही रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।

वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख में खंड (ज) अंत:स्थापित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारिती द्वारा देय किसी भी राशि को केवल वास्तविक भुगतान पर कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी। यदि भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत अधिदेशित समय के भीतर किया जाता है तो इसे प्रोद्भवन आधार पर अनुमति दी जा सकती है।

उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को समय पर भुगतान को बढ़ावा देना है।

******